**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 75 of 2024**

NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn- 10943
Ex. Dt-28-01-2025
NOTARIAL NOTARIAL
NOTARY GOVT. OF INDIA

**<u>IN THE MATTER OF:</u>**

**MohdJamshedJiddi ....Applicant**

**Versus**

**State Uttar Pradesh &Ors. ....Respondent(s)**

**<u>REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 13.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI</u>**

I, Ajeet Kumar Suman S/o Shri Late BaliramVimal aged about50years,presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Gorakhpur dohereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances and as such in abovementioned capacity I am competent to swear this affidavit.

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn- 10943/16
Ex. Dt-28-01-2025
GOVT. OF INDIA

AK Suman

Response in OA 623 of 2024



Scanned with OKEN Scanner

2. That vide its order dated 13.08.2024, this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) has passed the following direction:

*"...5. Counsel for the UPPCB is directed to file a report clarifying the reason for "poor" quality of water on the stretch in question. Let the report/response be filed within four weeks by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF ...."*

3. That the concern officials of the UPPCB has inspected the Sariya Drain on 14.11.2024 The copy of the inspection report dated 20.11.2024along with photographs and analysis reports is collectively being attached herewith as **Annexure No-1**to this report.

4. That as per the above inspection report, apart from the treated effluent from the industrial units, the sewage generated from the Nagar Panchayat, Sahjanwa is also being discharged in Sariya Drain which ultimately meets with river Ami.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) GOVT. OF INDIA

5. That further in pursuance to the findings of the above mentioned report, the UPPCB vide letter dated 21.11.2024 has issued a show cause notice for imposition of Environmental Compensation of Rs. 5.0 Lacs per drain per month in compliance of the Hon'ble Tribunal Order dated 21.05.2020



Scanned with OKEN Scanner

passed in OA No 593 of 2017, Paryavaran Suraksha Samiti&Anr versus Union of India &Ors with Mahesh Chandra Sexena versus South Delhi Municipal Corporation &Ors against the Authority concerned i.e. Executive Officer, Nagar Panchayat, Sahjanwa, District- Gorakhpur for not setting up adequate sewage treatment plant for treatment of sewage which is being discharge in River Ami through Sariya Drain at District- Gorakhpur. The copy of the letter dated 21.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No-2** to this report.

6. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit is true copy of their respective original.

7. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn- 10943/15 Ex. Dt-28-01-2025 GOVT. OF INDIA

**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

Verified at Lucknow on this the 22 day of November 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn and Verified before me. NOORJAHAN Advocate & Notary Civil Court, Lucknow Registration No. 10943/15

**DEPONENT**

Response in OA 623 of 2024

I know & Identify the deponent / Executie who has signed / put his T.I. before me

S.J. Iqbal Advocate Reg No. 6043/1990



Scanned with OKEN Scanner

Annexsure-1

प्रदुषण रोकिए ! पर्यावरण बचाइए !!

क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE

# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या Ref. No. 1025/सा०-351/ओ०ए०नं०-75/2024 दिनांक Dated 20-11-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय– **मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 75/2024 मोहम्मद जमशेद जिद्दी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर–प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 75/2024 मोहम्मद जमशेद जिद्दी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर–प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आमी नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.11.2024 को कराया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न है। संलग्न आख्यानुसार वर्तमान में नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर के अनट्रीटेड सीवेज सीधे सरिया नाले के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0 एस0, टोटल कॉलीफार्म एवं फीकल कॉलीफार्म, की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.11.20 14:36:24 +05'30'

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008
MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008
E-mail : rogorakhpur@uppcb.in

**म॰ एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 75/2024 मोहम्मद जमशेद जिद्दी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर–प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आमी नदी में निस्तारित होने वाले सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर का स्थलीय निरीक्षण आख्या।**

---

आपके आदेशानुसार आमी नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 14.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अनटैप्ड नालें का विवरण निम्नवत् है–

| क्र0सं0 | नालें का नाम | टैप्ड/अनटैप्ड | शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण | उत्तरदायी संस्था |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर | अनटैप्ड | वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे सरिया नाले के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0 एस0, टोटल कॉलीफार्म एवं फीकल कॉलीफार्म, की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। | नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर |

निरीक्षण के समय आमी नदी में गिरने वाले अनटैप्ड सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर से लिए गये फोटोग्राफ अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के समय ड्रेन सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर से अनट्रीटेड सीवेज की गुणता निम्नवत् है–

| S. No. | Location Of sampling Point | Date of Samplwe Collection | PH | BOD | COD | TSS | TC | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sewage Drain of Nagar Panchyat Sahjanwa, Near Murari Inter College, Sahjanwa, Gorakhpur | 14.11.2024 | 7.76 | 118.0 mg/l | 92.0 mg/l | 272 mg/l | 270000 MPN/100ml | 120000 MPN/100ml |

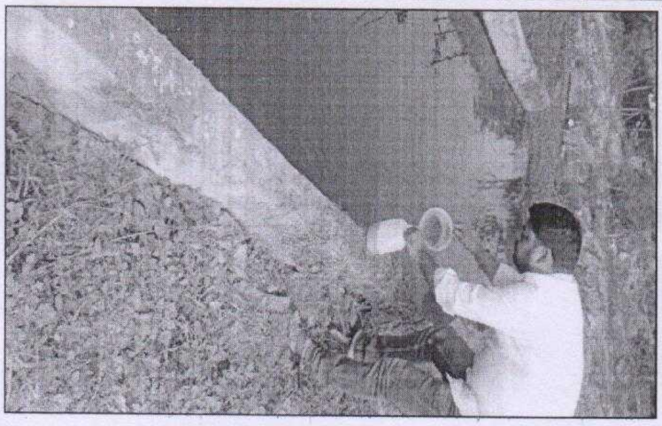

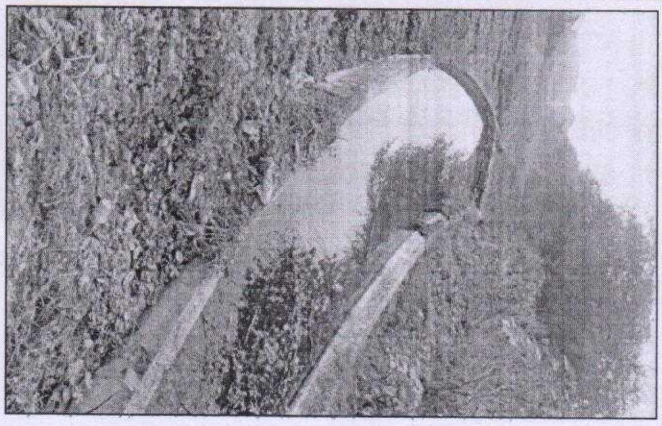

उपरोक्त बहिस्राव के नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि ड्रेन से निस्तारित हो रहे बहिस्राव की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

20/11/2024
(डा0 रजनीश कुमार सिंह)
प्रयोगशाला सहायक

20/11/2024
(राम मिलन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

AJEET KUMAR SUMAN
Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN
Date: 2024.11.20 14:35:57 +05'30'

**क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,**

**Regional Office**
**U.P. Pollution Control Board,**
**Gorakhpur**

## TEST REPORT (SURFACE WATER)

| S.No. | Name of Sampling Point | Date of Sampling | pH | Suspended Solid (mg/l) | B. O. D. (mg/l) | C.O.D. (mg/l) | Total Coliform (MPN/100ml) | Fecal Coliform (MPN/100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sewage Drain of Nagar Panchayat Sahjanwa, Near Murari Inter College, Sahjanwa, Gorakhpur | 14.11.2024 | 7.76 | 118 | 92 | 272 | 270000 | 120000 |

**Analyzed By** | **Verified By** 20/11/2024 | AJEET KUMAR SUMAN Digitally signed by AJEET KUMAR SUMAN Date: 2024.11.20 14:11:39 +05'30' **Authorized By**

Annexsure-2

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H20000 /सी.–6/सा0–10/न0प0 सहजनवॉ/का0नो0/2024 Dated 21/11/24

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सहजनवॉ,
जनपद–गोरखपुर। मो0–7905316522

यह कि माननीय एनजीटी में विचाराधीन ओए संख्या 75/2024 मोहम्मद जमशेद जिद्दी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है, का अवलोकन करने का कष्ट करें:–

*"......... 4. Table 2 of the report states about the "D" / "E" class of water quality in reference to primary water quality criteria for water of Saryu drain, before and after meeting with Ami river and Rapti river after and before confluence with Ami river.*

*5. Counsel for the UPPCB is directed to file a report clarifying the reason for "poor" quality of water on the stretch in question. Let the report/response be filed within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF......"*

यह कि आमी नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के संबंध में नगर पंचायत, सहजनवॉ, जनपद–गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, का स्थलीय निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के कार्मिकों द्वारा दिनांक 14.11.2024 को किया गया तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार विवरण निम्नवत् पाया गया हैं :–

| क्रम संख्या | नालों का नाम | शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण | उत्तरदायी संस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर | वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे सरिया नाले के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0 एस0, टोटल कॉलीफार्म एवं फीकल कॉलीफार्म, की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। | नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर |

यह कि निरीक्षण के समय उपरोक्त वर्णित नाले द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गोरखपुर में विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्या के अनुसार परिणाम निम्नवत् है :–

| Sl. No. | Location of Sampling point | Date of sample collection | Parameters | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pH | BOD (mg/l) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | TC (MPN/ml) | FC (MPN/ml) |
| 1 | Sewage Drain of Nagar Panchyat Sahjanwa, Near Murari Inter College, Sahjanwa, Gorakhpur | 14.11.2024 | 7.76 | 92 | 272 | 118 | 2,70,000 | 1,20,000 |

यह कि माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं0–08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..........8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

i. *100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.*

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764



Scanned with OKEN Scanner

ii. ***Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.***

यह कि वर्तमान में उपरोक्त समयसीमा के परिप्रेक्ष्य में ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रू0 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ड्रेन से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है।

यह कि आप द्वारा नगर पंचायत, सहजनवॉ के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कॉलेज अनटैप्ड नाले से आमी नदी में निस्तारित हो रहें अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नही की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि आमी नदी में निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा उत्तरदायी विभाग यथा नगर पंचायत, सहजनवॉ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उत्तरदायी विभाग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न नगर पंचायत, सहजनवॉ के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित सीवेज नाला निकट मुरारी इण्टर कालेज जो सरिया नाले के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहें अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर पंचायत, सहजनवॉ के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 से प्रति ड्रेन/माह रूपये 5.0 लाख की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 से प्रति ड्रेन/माह रूपये 5.0 लाख की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपके विभाग का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, प्लाट नं0–18, सेक्टर–7, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)



Scanned with OKEN Scanner